आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आगरा, जनपद :मथुरा, तहसील : महावन

वाद संख्या :– 00664/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :– T201901500100664

राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति बनाम सरकार

अंतगर्त धारा :– 80, अधिनियम :– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता – 2006

मौजा – सैदपुर बल्देव
171/21-22

नकल आदेश

प्रार्थिया राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति ग्राम–सैदपुर, पोस्ट–बल्देव, जिला – मथुरा, पिन – 281301 द्वारा प्रबंधक हरेंद्र कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर, तहसील महावन, जिला – मथुरा, के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2019 में अंकित किया गया है कि वे मौजा ग्राम – सैदपुर तहसील महावन व जिला मथुरा कि भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 382क, 396, 397, 385, 399, 383 व 384 रकवा 1.044 हे० लगनी 33.25 रुपए के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि मौके पर कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग मे नहीं लाई जा रही है , को अकृषिक घोषित किया जाने कि प्राथना की गयी है । प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु शपथ पत्र दाखिल किया है तथा सहखातेदार रामवीर सिंह पुत्र निरपति सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर परगना बल्देव तहसील महावन जनपद मथुरा द्वारा सहमति शपथ – दाखिल किया गया है ।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर जांचोपरान्त तहसीलदार महावन द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 16.11.2019 मे अंकित किया गया है की मौजा ग्राम – सैदपुर तहसील महावन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 382क, 396, 397, 385, 399, 383 व 384 रकवा 1.044 हे० लगनी 33.25 के राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति ग्राम–सैदपुर, पोस्ट–बल्देव, जिला – मथुरा, पिन – 281301 द्वारा प्रबंधक हरेंद्र कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर, तहसील महावन, जिला – मथुरा, के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुटपालन आदि के प्रयोजन मे नहीं लाई जा रही है । प्रश्नगत भूमि विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद या अन्य किसी शासकीय विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नगत भूमि में मौका पर पक्की वाउन्डरीवल बनी है व एक छोटा सा कमरा व चबूतरा बना है । आबादी के रूप मे प्रयोग की जा रही है। प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा एव फोटो ग्राफ आख्या के साथ सलग्न है । तहसीलदार महावन द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व संहित 2006 की धारा 80 के अंतरगत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

वाद दर्ज कर क्षेत्रीय लेखपाल श्री ज्ञानदास का सशपथ ब्यान 05.12.2019 के आधार को दर्ज किया गया तहसीलदार महावन की आख्या दिनांक 15.11.2019 के अनुसार प्रश्नगत भूमि की कलेक्टर मोहदय द्वारा निर्धारित सर्किल दर से मालियत 2430000/- रुपया है जिसकी दो प्रतिशत धनराशि 48600/- रुपया अढतालीस हजार छः सौ रुपया भारतीय स्टेट बैंक मथुरा में चालान संख्या 0801/02/BB/25471 दिनांक 09.2.2019 के आधार पर प्रार्थिया द्वारा जमा की जा चुकी है

अतः तहसीलदार, महावन की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक – 16.11.2019 के आधार पर ग्राम – सैदपुर तहसील महावन व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 175 खसरा संख्या 382क, 396, 397, 385, 399, 383 व 384 रकवा 1.044 हे० लगनी 33.25 रुपए को निम्नवत अकृषिक घोषित किया जाता है –

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : महावन

वाद संख्या :- 00664/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201901500100664

राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा	भूस्वामी का नाम व पता	खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	लगान	गैर कृषि प्रयोजन में लाई जा रही भूमि का विवरण			भूमि किस प्रयोजन में लाई जा रही है
						खसरा न	रकबा	लगान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महावन	राजवीर सिंह सिकरवार शिक्षा समिति ग्राम–सैदपुर, पोस्ट–बल्देव, जिला – मथुरा, पिन– 281301 द्वारा प्रबंधक हरेंद्र कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी ग्राम – सैदपुर, तहसील महावन, जिला – मथुरा	175	382क, 396, 397, 385, 399, 383 व 384	1.044	33.25	382क, 396, 397, 385, 399, 383 व 384	1.044	33.25	अकृषक
	कुल किता		7	1.044	33.25	7	1.044	33.25	

यह भूमि फसली 1427 से भू राजस्व से मुक्त होगी तथा भूमिधर पर न्यायगमन वैतिक विधिक से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है तहसीलदार महावन की उक्त आख्या आदेश का अंग होगी । आदेश की एक एक प्रति तहसीलदार, महावन व उप निबन्धक, महावन को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

दिनांक

नकल दरख्वास्त का दिनांक 25/5/22
नकल तैयारी का दिनांक 26/5/22
नकल जारी का दिनांक 28/5/22
लगात स्टाम्प 10.00 रु०

(क्रांति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, महावन

प्रतिलिपि : तहसीलदार महावन / उप निबंधक महावन को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु।

(क्रांति शेखर सिंह)
उप जिलाधिकारी, महावन

नकल कर्ता [illegible]
तुलना कर्ता [illegible]

सत्य प्रतिलिपि
पेश: 26/5/22